

प्रादेशिक समाचार

दिनांक-11.06.2024 (दोपहर-1455 बजे)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई कैबिनेट के मंत्रियों ने आज अपना-अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। झारखंड से केन्द्रीय मंत्री बनी अन्नपूर्णा देवी ने महिला एवं बाल विकास मंत्री और संजय सेठ ने रक्षा राज्यमंत्री का पद संभाला। कार्यभार संभालने के बाद श्री सेठ ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से शिष्टाचार मुलाकात भी की। इधर, अमित शाह ने भी गृह मंत्रालय में केंद्रीय मंत्री का पदभार ग्रहण किया। उन्होंने सहकारिता मंत्रालय का कार्यभार भी संभाला। इनके अलावा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल, नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू, पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जेपी नड्डा, संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, फूड प्रोसेसिंग मंत्री चिराग पासवान, बिजली मंत्री मनोहर लाल खट्टर, सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी बैषण ने भी पदभार ग्रहण किया। राज्यमंत्री सुकांत मजूमदार, प्रतापराव गणपतराव जाधव, एल मुरुगन, जयंत चौधरी, हरदीप पुरी, सुरेश गोपी, जितेन्द्र सिंह और जीतन राम मांझी समेत कई अन्य मंत्रियों ने भी अपने-अपने विभागों का कार्यभार आज से संभाल लिया है।

सर्वोच्च न्यायालय ने आज राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा – नीट स्नातक 2024 के बाद मेडिकल कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने 05 मई को आयोजित नीट परीक्षा रद्द करने की मांग वाली याचिका पर राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी- एनटीए और अन्य से जवाब मांगा है। इस मामले को एक अन्य लंबित याचिका के साथ जोड़कर अब 8 जुलाई को सुनवाई होगी।

झारखंड हाई कोर्ट ने विधानसभा नियुक्ति गड़बड़ी मामले में राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद की रिपोर्ट और एसजे मुखोपाध्याय आयोग की रिपोर्ट शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट में प्रस्तुत करें। पूर्व में सरकार की ओर से दोनों रिपोर्ट सीलबंद प्रस्तुत की गई थी। चूंकि, विधानसभा के पटल पर एसजे मुखोपाध्याय आयोग की ही रिपोर्ट केवल प्रस्तुत की गई थी। इसलिए सरकार की ओर से एसजे मुखोपाध्याय आयोग की रिपोर्ट शपथ पत्र के माध्यम से प्रस्तुत की गई। महाधिवक्ता राजीव रंजन कोर्ट में आज मामले की सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से पक्ष रखा। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 19 जून निर्धारित की है।

राज्य के मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन आज राज्य के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं। पहली पाली में उन्होंने राज्य की विधि व्यवस्था की समीक्षा की और अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि राज्य में विधि व्यवस्था का बेहतर संधारण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जायेगी। उन्होंने माफिया और पेशेवर अपराधियों को चिह्नित कर उनके विरुद्ध योजनाबद्ध तरीके से प्रभावी कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया।

कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी के खिलाफ दायर मान हानि मामले में आज रांची के एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने उन्हें कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने को कहा है। दरअसल पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष को इससे पहले ही सशरीर उपस्थित होने को कहा गया था लेकिन आज होने वाली सुनवाई में वे उपस्थित नहीं हुए। इस वजह से कोर्ट ने आगे की कार्रवाई करने में असमर्थता जतायी। अब इस मामले की अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी।

गोड्डा जिले में डालसा द्वारा कानून के प्रति जनजागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता—

भारत दिसंबर 2025 में होने वाले पहले जूनियर हॉकी विश्व कप की मेजबानी करेगा। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ— एफआईएच के कार्यकारी बोर्ड ने आज भारत को जूनियर हॉकी विश्व कप के मेजबान के रूप में नामित किया। यह पहली बार होगा जब एफआईएच हॉकी जूनियर विश्व कप में 24 टीमों शामिल होंगी।

*****समाप्त*****